न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. वदाराम पुत्र चैनाजी		1. ग्राम पंचायत सिन्दरथ
2. हकमाराम पुत्र वीराजी		2. लक्ष्मण कुमार पत्रु वनाजी
3. शंकरलाल पुत्र वीराजी		3. पुनमाराम पुत्र वीराजी
4. गीतादेवी पत्नी गलबाराम		4. उकाराम पुत्र सांकलाजी
5. दिनेश कुमार पुत्र रामाजी		5. लक्ष्मणराम पुत्र कपुराजी
6. प्रकाश पुत्र रामाजी		6. भरत कुमार पुत्र कपुराजी
7. देवाराम पुत्र रामाजी जातिगण माली निवासीगण सिन्दरथ तहसील व जिला सिरोही		7. गोपाल कुमार पुत्र कपुराजी
		8. अर्जुन कुमार पुत्र कपुराजी
		9. कान्ता पुत्री कपुराजी
		10. चम्पा पुत्री कपुराजी
		11. सुखाराम पुत्र सकाराम
		12. मंछाराम पुत्र सकाराम
		13. रमेश कुमार पुत्र सकाराम जातिगण माली निवासीगण सिन्दरथ तहसील व जिला सिरोही
		14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री अश्विन मरडिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 6.8.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/1633 दिनांक 05.04.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिन्दरथ के खसरा नम्बर 922 से 934 कुल रकबा 4.4100 हैक्टेयर की भूमि आई हुई स्थित है, जो अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 2 से 13 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। इस भूमि के लगते ही खसरा नम्बर 942 रकबा 0.3200 हैक्टेयर की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज होकर सरकारी भूमि है। इस भूमि पर अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 13 अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है। उक्त भूमि के आगे गौरव पथ तक अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा इस भूमि पर बडे बडे पडे लगे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनाज भण्डारण हेतु भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले ग्राम सिन्दरथ के खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1040/1401 रकबा 0.7000 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि को अनाज भण्डारण हेतु आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्ध उकाराम ने अपील प्रस्तुत की। इस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व में किए गए आवंटन को निरस्त करते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि का आवंटन किया, जबकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 13 काबिज काश्त होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। उपखण्उ अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए अपने ही आदेश को सिलसिलेवार रिव्यू एवं अपास्त करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व में इसी खसरा नम्बर से भूमि आवंटित की, जो नजरीं नक्शे में मार्क x से अंकित है। उक्त स्थान पर अन्य लोगों के कब्जे होने के कारण ग्राम पंचायत ने उनसे मिलावट करते हुए आवंटित भूमि के स्थान परिवर्तन कराने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि को अनाज भण्डारण गोदाम हेतु आवंटन किया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया तथा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में विधिवत आवंटन किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि कभी भी अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 13 के कब्जे काश्त में नहीं रही एवं न ही मौके पर इनका कब्जा है एवं यदि कब्जा हो तो भी वह वैध नहीं है। मात्र लम्बा कब्जा होने से अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जैर अपील वादस्थ भूमि रिक्त एवं आवंटन हेतु उपलब्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये उक्त भूमि ग्राम पंचायत सिन्दरथ को अनाज भण्डारण गोदाम हेतु आवंटन की गई है। आवंटित भूमि का कब्जा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुपुर्द किया जा चुका है तथा मौके पर निर्माण कार्य आरम्भ करवाया जा चुका है। जैर अपील वादस्थ भूमि पर सार्वजनिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

एवं लोकोपयोगी कार्य हेतु आवंटन किया गया है तथा राजकीय कोष से भवन निर्माण किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होना बताते हुए उक्त भूमि अतिक्रमित होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। अब विधिक प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या तथाकथित अतिक्रमित राजकीय भूमि का आवंटन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न मत प्रकट किए है। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अतिक्रमण होने के बावजूद भी भूमि को अधिरित (unoccupied) मानते हुए आवंटन किया जा सकता है। स्वयं अपीलाण्ट का कथन है कि जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी भूमि दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना पुश्तैनी कब्जा होने का कथन किया है, किन्तु इन कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज होते, तो निश्चय ही उनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई होती, जिसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट मौन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील वादस्थ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जनहित में अनाज भण्डारण गोदाम हेतु जैर अपील आदेश के जरिये भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/1633 दिनांक 05.04.2018 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 6.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही